ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow
(Uttar Pradesh State Government University)

भारत 2023 INDIA

संख्या–1433/भा.विवि/कुसका/2023 दिनांक : 14 अगस्त, 2023

29वीं कार्य परिषद् की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 14 अगस्त, 2023 को प्रातः 11:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की 29वीं बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहेः–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	सदस्य
3.	प्रो0 जयशंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 ललिता राव, बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी।	सदस्य
5.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर।	सदस्य
6.	डॉ0 तत्हीर फातिमा, संकायाध्यक्ष–विज्ञान	सदस्य
7.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	सदस्य
8.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	प्रो0 चन्दना डे, आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
12.	डॉ0 मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य–शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13.	डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
14.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्रित
15.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी ने माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा नामित कार्य परिषद् के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.) तथा प्रो0 सुधांशु पांड्या का सभी सदस्यों से परिचय कराते हुए स्वागत किया। तद्परान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से कार्यपरिषद 29वीं बैठक दिनांक 14.08.2023 की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बैठक हेतु प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए–

बिन्दु संख्या–29.1 :

कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2023 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद की 28वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2023 की कार्यवाही का सम्पुष्टिकरण किया गया।

बिन्दु संख्या–29.2 :

कार्य परिषद् की 28वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

निर्णय :

कार्य परिषद् की 28वीं बैठक दिनांक 20 अप्रैल, 2023 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) से परिषद् संसूचित हुयी। बिन्दु संख्या–27.19 के अन्तर्गत श्री गजेन्द्र सोलंकी, नई दिल्ली के द्वारा विश्वविद्यालय का कुलगीत को तैयार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या–10 के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के पद सृजन हेतु 03 माह में कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिए।

बिन्दु संख्या–29.3 :

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 2023, 10 मई, 2023 एवं 17 जून, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्यपरिषद द्वारा प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 27 अप्रैल, 2023, 10 मई, 2023 एवं 17 जून, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.4 :

परीक्षा समिति की 07वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा परीक्षा समिति की 7वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.5 :

वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.6 :

विद्या परिषद की 15वीं बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

3/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद द्वारा विद्या परिषद् की 15वीं बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2023 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.7 :

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–26(घ) एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2015 के अध्याय–6 के बिन्दु संख्या–6.01 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की वित्त समिति में डॉ0 नन्दकिशोर धर द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 01 वर्ष के लिए नामित होने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–26(घ) एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2015 के अध्याय–6 के बिन्दु संख्या–6.01 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की वित्त समिति में डॉ0 नन्दकिशोर धर द्विवेदी, वित्त नियंत्रक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0 01 वर्ष के लिए नामित होने से कार्य परिषद् को संसूचित हुई एवं कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.8 :

रिट याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश के अनुपालन में डॉ0 श्वेता अग्रवाल को शिक्षाशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद दिनांक 03 जून, 2023 को प्रदान की गयी नियुक्ति से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

रिट याचिका संख्या–16499/2021 डॉ0 श्वेता अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय पारित आदेश के अनुपालन एवं कार्य परिषद् की बैठक 06 फरवरी, 2023 में लिये गये निर्णय के क्रम में डॉ0 श्वेता अग्रवाल को शिक्षाशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर दिनांक 03 जून, 2023 को प्रदान की गयी नियुक्ति से कार्य परिषद् संसूचित हुई।

बिन्दु संख्या–29.9 :

डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार का चयन गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सह आचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 15 मई, 2023 से प्रदान किये गये एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 तनु डंग, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार का चयन गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सह आचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 15 मई, 2023 से प्रदान किये गये एक वर्ष के अवैतनिक अवकाश पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

4/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या—29.10 :

डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य का चयन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में सहायक आचार्य—अंग्रेजी के पद पर होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 15 मई, 2023 से प्रदान किये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश पर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 आमिना हुसैन, सहायक आचार्य का चयन जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली में सहायक आचार्य—अंग्रेजी के पद पर होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 15 मई, 2023 से प्रदान किये गये एक वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—29.11 :

डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी के पत्र दिनांक 22—07—2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उन्हें 01 वर्ष का अतिरिक्त असाधारण अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी के पत्र दिनांक 22—07—2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उन्हें 01 वर्ष का अवैतनिक असाधारण अवकाश नियमानुसार स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—29.12 :

डॉ0 भीम सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चयन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य (संविदा), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 भीम सोनकर, सहायक आचार्य (संविदा), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चयन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में हो जाने के फलस्वरूप सहायक आचार्य (संविदा), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पद को रिक्त घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा जब तक इस पद पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत नियुक्ति नहीं हो जाती है, तब तक के लिए सहायक आचार्य (अस्थायी) से विश्वविद्यालय नियमानुसार पठन—पाठन कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—29.13 :

वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य—शिक्षाशास्त्र विभाग की नियुक्ति के विरूद्ध की गयी आपत्ति के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा की गयी जांच पर निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया कि वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य—शिक्षाशास्त्र विभाग की नियुक्ति के सम्बन्ध में ऑडिट आपत्ति की गयी थी। तत्क्रम में प्रकरण को कार्य परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 06 फरवरी, 2023 के बिन्दु संख्या—27 अन्य 1 में प्रस्तुत किया गया था।

Scanned with OKEN Scanner

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा, सहायक आचार्य के प्रकरण पर एक त्रिसदस्यीय समिति (क. प्रो0 फखरे आलम, विभागाध्यक्ष–उर्दू विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, ख. प्रो0 एस0पी0 त्रिवेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष–जीव विज्ञान, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, ग. प्रो0 पवन अग्रवाल, आचार्य–हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ) का गठन किया गया था।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं समिति की आख्यानुसार प्रकरण में मुख्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया :–

- विज्ञापन संख्या–01/2012 द्वारा बी0एड0 विषय हेतु प्रवक्ता के सामान्य श्रेणी के 01 पद पर साक्षात्कार के उपरान्त डॉ0 आकांक्षा सिंह के चयन होने पर उनके द्वारा सम्बन्धित पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया।
- डॉ0 आकांक्षा सिंह के मात्र 21 दिन की सेवा के उपरान्त त्यागपत्र देने से हुये रिक्त पद के सापेक्ष कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 01–06–2013 में अनुमोदित चयन समिति की संस्तुति के क्रम में डॉ0 नलिनी मिश्रा जो कि प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर थीं, के द्वारा बी0एड0 विषय के प्रवक्ता पद पर दिनांक 10–01–2014 को कार्यभार ग्रहण किया गया।
- वर्ष 2013 में माननीय राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा कतिपय शिक्षकों की नियुक्तियों की जांच हेतु त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गयी, जिसमें डॉ0 नलिनी मिश्रा का प्रकरण भी सम्मिलित था।
- उक्त समिति द्वारा अपनी जांच आख्या में डॉ0 नलिनी मिश्रा की नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्नवत् टिप्पणी की गयीः–

  "She possessed the essential qualifications for the post of Assisstant Professor Education due to being NET qualified."
- माननीय कुलाधिपति कार्यालय के आदेश संख्या ई–4997/जी0एस0 दिनांक 13 जून, 2014 द्वारा प्रेषित आख्या को कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28–05–2017 में बिन्दु संख्या 3 पर यथावत स्वीकार किया गया।
- उक्त आख्या के क्रम में कुलसचिव के पत्र संख्या–201/उ.अ.फा.वि.वि/कुसका/व्यक्तिगत/2017 दिनांक 01 दिसम्बर, 2017 द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा का स्थायीकरण कर दिया गया।
- उक्त निर्णय के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा डॉ0 नलिनी मिश्रा की संतोषजनक सेवाओं के दृष्टिगत दिनांक 12–02–2021 को दिनांक 10–01–2018 से सहायक आचार्य स्टेज–2 के ग्रेड में CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति प्रदान की गयी, जिसका अनुमोदन कार्य परिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 05–02–2021 के बिन्दु संख्या–28 पर प्रदान किया जा चुका है।

उक्त बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में समस्त यथोचित कार्यवाहियां पूर्व में ही पूर्ण करायी जा चुकी हैं। अतएव प्रकरण के सम्बन्ध में कार्य परिषद् की 27वीं बैठक दिनांक 06–02–2023 द्वारा गठित समिति की आख्या को स्वीकार करते हुए प्रकरण को निक्षेपित करने का निर्णय लिया गया। तत्क्रम में सम्परीक्षा आपत्ति के निस्तारण हेतु वित्त अधिकारी को निर्देशित किया गया।

6/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.14 :

श्रीमती आकांक्षा सिंह, सहायक आचार्य (संविदा), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की विगत कई माह से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् श्रीमती आकांक्षा सिंह, सहायक आचार्य (संविदा), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय की विगत कई माह से चल रही अनुपस्थिति से अवगत हुयी तथा डॉ0 आकांक्षा सिंह को एक अवसर प्रदान करते हुए 01 माह के भीतर उपस्थित होकर पठन–पाठन कार्य कराये जाने पर सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने की संस्तुति की गयी।

बिन्दु संख्या–29.15 :

डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य, फारसी विभाग के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 आरिफ अब्बास, निलम्बित सहायक आचार्य, फारसी विभाग के विरूद्ध प्रचलित जांच की समयावधि आगामी 03 माह बढ़ाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.16 :

प्रो0 माहरूख मिर्ज़ा एवं अन्य सम्बन्धित प्रकरणों की जांच हेतु गठित अनुशासनिक समिति को जांच पूर्ण किये जाने हेतु आगामी 03 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 माहरूख मिर्ज़ा एवं अन्य सम्बन्धित शिक्षकों के प्रकरणों की जांच हेतु गठित अनुशासनिक समिति को जांच पूर्ण किये जाने हेतु आगामी 03 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर कार्य परिषद् द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अनुशासनिक समिति की बैठकों में आवागमन, जलपान एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु व्ययभार विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस निर्णय को आगामी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत कर कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किये जाने के निर्देश भी दिये गये।

बिन्दु संख्या–29.17 :

डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, सह आचार्य, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ई–मेल पत्र दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा पी0एच0डी0 से सम्बन्धित की गयी शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा करायी जांच आख्या पर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

यह बिन्दु कार्य परिषद् की आन्तरिक सदस्य डॉ0 तत्हारी फातिमा से सम्बन्धित था, जिस कारण इस बिन्दु पर चर्चा होते समय कार्य परिषद् के निर्देश पर डॉ0 तत्हीर फातिमा, सह आचार्य समिति कक्ष से बाहर चली गयीं। तदोपरान्त कार्य परिषद् द्वारा डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी, सह आचार्य, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ई–मेल

7/–

Scanned with OKEN Scanner

पत्र दिनांक 18 मई, 2023 द्वारा पी0एच0डी0 से सम्बन्धित की गयी शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति की आख्या का अवलोकन किया गया तथा जांच आख्या के अवलोकन से यह विदित हुआ कि डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी द्वारा डॉ0 तस्नीरफातिमा, तत्कालीन सहायक आचार्य एवं डॉ0 रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य को पी0एच0डी0 शोधार्थी को आवंटित किये जाने के समय दोनो सहायक आचार्यों के पी0एच0डी0 उपाधि धारित नहीं होने की शिकायत की गयी थी जांच में यह संज्ञान में आया कि कार्य परिषद् की 14वीं बैठक दिनांक 20–04–2019 के बिन्दु संख्या–3 के अन्तर्गत दोनों ही शिक्षकों को पी0एच0डी0 अवार्ड हेतु 06 माह का समय प्रदान किया गया था तथा दोनों ही शिक्षिकाओं ने पी0एच0डी0 शोधार्थी आवंटित होते समय पी0एच0डी0 उपाधि धारित कर ली थी, ऐसे में दोनों ही शिक्षिकाओं को छात्रहित में पी0एच0डी0 शोधार्थियों को शोध कार्यपूर्ण कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही कार्य परिषद् द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति न किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया।

डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी को आवंटित समस्त शोधार्थियों का पी0एच0डी0 शोधवर्क पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया "चूंकि डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी द्वारा असाधारण अवकाश लिया गया है और विश्वविद्यालय में उनका सहायक आचार्य के पद पर धारणाधिकार अनुरक्षित है। अतः डॉ0 प्रियंका सूर्यवंशी को आवंटित शोधार्थियों को शोध कार्य पूर्ण कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।"

उक्त के अतिरिक्त कार्य परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई शिक्षक या शिक्षिका विश्वविद्यालय से अन्यत्र चयनित होकर जाते हैं, तो धारणाधिकार सुरक्षित रहने तक उनके द्वारा शोध कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा। अग्रेतर यदि भविष्य में किसी शोधार्थी की आर0ए0सी0/डी0आर0सी0 सम्पन्न कराये जाने में विभागाध्यक्ष के स्तर से कोई व्यतिक्रम/अवरोध उत्पन्न होता है, तो सम्बन्धित शोधार्थी की आर0ए0सी0/डी0आर0सी0 डीन–शैक्षणिक, समन्वयक–शोध एवं कुलसचिव द्वारा नियमानुसार सम्पादित करायी जायेगी।

बिन्दु संख्या–29.18 :

28वीं कार्य परिषद् के बिन्दु संख्या–28.9 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय :

28वीं कार्य परिषद् के बिन्दु संख्या–28.9 में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य परिषद् द्वारा घोर असंतोष व्यक्त किया गया तथा कार्य परिषद् की पूर्व बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर, सहायक आचार्य–उर्दू विभाग को 01 माह में अपने चिकित्सा अवकाश की प्रमाणिकता State Medical Board से चिकित्सा एवं स्वास्थता प्रमाण, Fitness Verification के साथ प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। डॉ0 मुतर्ज़ा अली अतहर की अनुपस्थिति की अवधि एवं वेतन आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार प्रस्ताव उनके विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कार्य परिषद् के विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने के निर्देश भी प्रदान किये गये।

8/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.19 :

श्री शबीह हैदर, लेखाकार की नियुक्ति के विरूद्ध प्रचलित जांच को पूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को अधिकृत किये जाने एवं उप कुलसचिव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा श्री शबीह हैदर, लेखाकार की नियुक्ति के विरूद्ध प्रचलित जांच को पूर्ण किये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को अधिकृत किये जाने एवं उप कुलसचिव को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.20 :

प्रो0 मनोज कुमार दीक्षित, पूर्व कुलपति, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को विश्वविद्यालय के Indian Knowledge System (IKS) Centreका सदस्य नामित किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा प्रो0 मनोज कुमार दीक्षित को विश्वविद्यालय के Indian Knowledge System (IKS) Centre का सदस्य नामित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.21 :

विश्वविद्यालय में सेवारत नियमित एवं स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में आवेदन किये जाने हेतु मानक निर्धारित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में सेवारत नियमित शिक्षकों को अन्य विश्वविद्यालय/ संस्थान में आवेदन किये जाने हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किये :–

1. **नियमित शिक्षक हेतु :** **सभी नियमित शिक्षक वर्ष में 03 बार किसी अन्य विश्वविद्यालय/ संस्थान में आवेदन कर सकेंगे।**
2. **संविदा शिक्षक हेतु :** **स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम/ विषय के सभी संविदा शिक्षक मा0 कुलपति जी की अनुमति से किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान में आवेदन कर सकेंगे।**

उक्त निर्णय पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.22 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भाँति ग्रीष्मावकाश अवधि में प्रशासनिक/प्रवेश/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में संलग्न होने पर अर्जित/उपर्जित अवकाश अनुमन्य किये जाने पर विचार।

9/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भाँति ग्रीष्मावकाशदेय होगा एवं उक्त अवधि में प्रशासनिक/प्रवेश/परीक्षा सम्बन्धी कार्यों में संलग्न होने पर अर्जित/उपर्जित अवकाश अनुमन्य किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.23 :

Resource Mobilization Policy 2023 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Resource Mobilization Policy 2023 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.24 :

Student Council Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Student Council Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.25 :

Manual Maintenance Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Manual of Maintenance Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.26 :

E-Waste Management & Waste Cycling System Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा E-Waste Management & Waste Cycling System Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.27 :

Biomedical Waste Management Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Biomedical Waste Management Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.28 :

Intellectual Property Rights (IPR) Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Intellectual Property Rights (IPR) Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

10/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.29 :

Liquid Waste Management Policy के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा Liquid Waste Management Policy पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.30 :

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–8339/32–जी0एस0/2022–XIV दिनांक 22 दिसम्बर 2022 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये "विजन–डॉक्यूमेन्ट" के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–8339/32–जी0एस0/2022–XIV दिनांक 22 दिसम्बर 2022 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किये गये "विजन–डॉक्यूमेन्ट" पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.31 :

दिनांक 31–05–2023 को Bachpan Express News Portal and Monthly News Paper, Lucknow तथा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31–05–2023 को Bachpan Express News Portal and Monthly News Paper, Lucknow तथा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् को संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.32 :

दिनांक 31–05–2023 को महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सलोन, हिमांचल प्रदेश तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31–05–2023 को महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय, सलोन, हिमांचल प्रदेश तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.33 :

दिनांक 31–05–2023 को Y2KA1 MEDIA, Mumbai तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31–05–2023 को Y2KA1 MEDIA, Mumbai तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

11/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या—29.34 :

दिनांक 31—05—2023 को समाधान लाइन साइरोंज़, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31—05—2023 को समाधान लाइन साइरोंज़, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

बिन्दु संख्या—29.35 :

दिनांक 31—05—2023 को इमेज एण्ड क्रिएशन प्रोडक्शनस, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31—05—2023 को इमेज एण्ड क्रिएशन प्रोडक्शनस, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् को संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.36 :

दिनांक 31—05—2023 को Rafts and Rivers LLC तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31—05—2023 को Rafts and Rivers LLC तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.37 :

दिनांक 31—05—2023 को BSN Infotech Private Limited, Lucknow तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31—05—2023 को BSN Infotech Private Limited, Lucknowतथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.38 :

दिनांक 31—05—2023 को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 31—05—2023 को छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.39 :

दिनांक 30–05–2023 को डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविलय, दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 30–05–2023 को डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविलय, दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.40 :

दिनांक 30–05–2023 को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 30–05–2023 को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.41 :

दिनांक 30–05–2023 को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 30–05–2023 को नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.42 :

दिनांक 30–05–2023 को गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 30–05–2023 को गुरू गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.43 :

दिनांक 29–05–2023 को DIGITALEDU IT SOLUTIONS PVT. LTD. तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

13/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

दिनांक 29—05—2023 को DIGITALEDU IT SOLUTIONS PVT. LTD. तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.44 :

दिनांक 29—05—2023 को महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 29—05—2023 को महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.45 :

दिनांक 29—05—2023 को महारानी लाल कुंवरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बलरामपुर, उ.प्र. तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 29—05—2023 को महारानी लाल कुंवरी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बलरामपुर, उ.प्र. तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् को संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.46 :

दिनांक 29—05—2023 को प्रशासनिक गुरूकुल, एल.एल.पी., लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 29—05—2023 को प्रशासनिक गुरूकुल, एल.एल.पी., लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.47 :

दिनांक 29—05—2023 को सी.जी.एन. पी.जी. कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ खीरी तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 29—05—2023 को सी.जी.एन. पी.जी. कॉलेज, गोला गोकर्णनाथ खीरी तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या-29.48 :

दिनांक 29-05-2023 को UPTOSKILLS, New Delhi तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 29-05-2023 को UPTOSKILLS, New Delhi तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या-29.49 :

दिनांक 27-05-2023 को Lucknow Intellectual Foundation तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 27-05-2023 को Lucknow Intellectual Foundation तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या-29.50 :

दिनांक 27-05-2023 को जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, मथुरा तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 27-05-2023 को जी.एल.ए. विश्वविद्यालय, मथुरा तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या-29.51 :

दिनांक 27-05-2023 को खुन खुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, चौक लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 27-05-2023 को खुन खुन जी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, चौक लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या-29.52 :

दिनांक 27-05-2023 को Umran Green Perspective Foundation, Bihar तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 27-05-2023 को Umran Green Perspective Foundation, Bihar तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

15/-

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.53 :

दिनांक 25–05–2023 को गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुजरात तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 25–05–2023 को गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गुजरात तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.54 :

दिनांक 25–05–2023 को महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 25–05–2023 को महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.55 :

दिनांक 25–05–2023 को Analyze Infotech, Aliganj, Lucknow तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 25–05–2023 को Analyze Infotech, Aliganj, Lucknow तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.56 :

दिनांक 23–05–2023 को Experiome Biotech Private Limited तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 23–05–2023 को Experiome Biotech Private Limited तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.57 :

दिनांक 12–05–2023 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 12–05–2023 को डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.58 :

दिनांक 12–05–2023 को Breakthrough Trust, New Delhi तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 12–05–2023 को Breakthrough Trust, New Delhi तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.59 :

दिनांक 10–10–2022 को **Florafauna Science Foundation (FFSF) Lucknow** तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 10–10–2022 को Florafauna Science Foundation (FFSF) Lucknow तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.60 :

दिनांक 10–10–2022 को डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 10–10–2022 को डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.61 :

दिनांक 21–06–2022 को एहसास फाउन्डेशन, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 21–06–2022 को एहसास फाउन्डेशन, लखनऊ तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या–29.62 :

दिनांक 28–09–2022 को युवराज इन्डस्ट्रीज़, गाज़ियाबाद तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

दिनांक 28–09–2022 को युवराज इन्डस्ट्रीज़, गाज़ियाबाद तथा ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के मध्य किये गये एम.ओ.यू. से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

17/–

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.63 :

छात्र कल्याण कोष नीति 2020 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा छात्र कल्याण कोष नीति 2020 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.64 :

रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन पर विचार।

निर्णय :

रिट ए याचिका संख्या–25824/2020 मूसी रज़ा बनाम अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् को अवगत कराया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्थिति से राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया गया था, जिसके क्रम में कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी के पत्र संख्या–ई–1445/24–जी0एस0/2022–।।।, दिनांक 21 अप्रैल, 2023 द्वारा निर्देशित किया गया कि "शिक्षकों की नियुक्ति प्राधिकारी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13–01–2023 का समादर करते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण विश्वविद्यालय स्तर पर कराने का कष्ट करें।"

प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिवक्ता द्वारा भी श्री मूसी रज़ा को सहायक आचार्य–उर्दू के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने का परामर्श दिया गया है।

उक्त के क्रम में कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से श्री मूसी रज़ा को नियुक्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा उनके समस्त शैक्षणिक अभिलेखों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराते हुए समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त उन्हें सहायक आचार्य–उर्दू विभाग के पद पर नियुक्ति पत्र जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–29.65 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों का साक्षात्कार लिये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों तथा नियमित पाठ्यक्रम/विषयों के शिक्षकों का साक्षात्कार लिये जाने हेतु विषय विशेषज्ञों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.66 :

सुश्री रीतिका सिंह, अधिवक्ता तथा श्री सतीश कुमार सिंह, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ को विश्वविद्यालय अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ताओं में पैनल में सम्मिलित किये जाने पर विचार।

/18/–

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा सुश्री रीतिका सिंह, अधिवक्ता तथा श्री सतीश कुमार सिंह, अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ को विश्वविद्यालय अधिवक्ता के रूप में अधिवक्ताओं में पैनल में सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—29.67 :

विश्वविद्यालय में सत्र 2022—23 हेतु नियुक्त सहायक आचार्य (अस्थायी)/अतिथि व्याख्याताओं की सत्र 2023—24 के पाठन—पाठन के लिए बढ़ायी गयी अवधि से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

विश्वविद्यालय में सत्र 2022—23 हेतु नियुक्त सहायक आचार्य (अस्थायी)/अतिथि व्याख्याताओं की सत्र 2023—24 के पाठन—पाठन के लिए बढ़ायी गयी अवधि पर कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या—29.68 :

डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य, बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग को फैकल्टी ऑफ फॉर्मेसी का निदेशक नामित किये जाने से कार्य परिषद् को संसूचित किया जाना।

निर्णय :

डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य, बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग को फैकल्टी ऑफ फॉर्मेसी का निदेशक नामित किये जाने से कार्य परिषद् संसूचित हुयी।

बिन्दु संख्या—29.69 :

डॉ0 ताविन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य की स्नातकोत्तर उपाधि की मानव भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन आख्या से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

डॉ0 ताविन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य की स्नातकोत्तर उपाधि की मानव भारती विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन आख्या से कार्य परिषद् अवगत हुयी, जिसमें निम्नवत् उल्लिखित है:—

Kindly refer to the letter No. 655/भा.विवि/कुसका/2023/733 टी.एस./21 (सत्यापन)dated 19/4/2023 on the subject cited above. In this regard, this is to inform you that the Govt. of Himachal Pradesh has constituted committee in the matter of Manav Bharti University for the purpose of verification and for the issuance of Mark sheet and other documents. The said committee has decided that students will be considered genuine, If the student fall under the parameter set by the committee.

The parameters set by the said committee are as follow:

1. Whether the student is enrolled and his data sent to HP-PERC, Shimla for the session which he was enrolled.
2. Whether the course is approved by HP-PERC, Shimla to MBU and the Registration were found for the same.
3. Whether the record of the student was found as per the allotted seats by the HP-HPERC Shimla to MBU.

Scanned with OKEN Scanner

4. Whether the record of the student reflect in Green sheet register, Admission Disclosure list sent to HP-PERC Shimla.

After the perusal of the records provided by the SIT, MBU cases, it has been found that the candidate i.e. Mr. Tabinda Sultana under Registration no. MBU-1010-24807 does not reflect in the Green sheet register. Admission disclosure list of 2010-2011 is not available with the University. In context to the admission disclosure list of session 2010-2011, the Regulatory commission, Shimla, through the office of SP, Solan has informed that this commission was not established during this period. However admission registers of year 2010-2011 have been provided by HPPERC to the University. The Registration no. i.e. MBU-1010-24807 of the candidate does not reflect in the admission Register provided by the HPPERC. The name and the Registration no. of the said candidate i.e. Mr. Tabinda Sultana does not match with the records provided by the SIT, MBU cases and admission record of the University.

''.... उपरोक्त से अवगत होते हुए कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया ''चूंकि डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना की नियुक्ति के सम्बन्ध में पूर्व से ही अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है और सम्बन्धित सत्यापन प्रकरण का नियुक्ति से सीधा सम्बन्ध है। अतएव प्रकरण को मा0 कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 2022 द्वारा पूर्व में गठित अनुशासनिक समिति को अन्तिम जांच हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।''

बिन्दु संख्या–29.70 :

16वीं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 03–11–2019 के बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत वित्त समिति की 11वीं बैठक दिनांक 02–11–2019 के बिन्दु संख्या–5.2 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार ।

निर्णय :

16वीं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 03–11–2019 के बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत वित्त समिति की 11वीं बैठक दिनांक 02–11–2019 के बिन्दु संख्या–5.2 में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए पूर्व में हुये निर्णय के तकनीकी रूप से उचित न होने के कारण स्टूडियो में आउटसोर्सिंग के माध्यम से पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग के अन्तर्गत सृजित 02 टेक्नीशियन एवं 02 चतुर्थ श्रेणी को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया तथा टेक्नीशियन का रू. 28,000/– नियत वेतनमान निर्धारित किया गया एवं रिक्त टेक्नीशियन पद की अर्हता निर्धारित किये जाने हेतु 1. कुलसचिव, 2. डॉ0 शचीन्द्र शेखर, सहायक आचार्य एवं 3. मा0 कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य की एक समिति गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.71 :

1–श्री अनुभव तिवारी, 2–सुश्री आकांक्षा सिंह, 3–सुश्री शिप्रा शुक्ला, शोध छात्र–वाणिज्य का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा 1–श्री अनुभव तिवारी, 2–सुश्री आकांक्षा सिंह, 3–सुश्री शिप्रा शुक्ला, शोध छात्र–वाणिज्य का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या–29.72 :

विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित विधि संकाय में शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है तथा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 2020 में संविदा पर नियुक्ति किये जाने के निर्देश हैं तथा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः उपरोक्त विरोधाभासी परिस्थिति से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए कार्यवाही पर विचार।

निर्णय :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश दिनांक 13 मार्च, 2020 तथा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा नियमित शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी विरोधाभास होने के दृष्टिगत कार्य परिषद् द्वारा फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही कराये जाने पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से विधिक परामर्श भी मांगा गया है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि "फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ में पाठ्यक्रम के चलते रहने तक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में नियमित (Regular) रूप से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित की जाये।" अग्रेतर विधिक परामर्श में यदि उक्त निर्णय से भिन्न आख्या प्राप्त होती है, तो अगली कार्य परिषद् में प्रकरण को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाये।

बिन्दु संख्या–29.73 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज़ को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–29.74 :

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कार्य परिषद् द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–29 अन्य 1 :

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–20 की उपधारा–20(1)(ड.) के अन्तर्गत गठित विश्वविद्यालय कार्य परिषद् में डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य–भूगोल विभाग तथा डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य उर्दू विभाग को नामित नहीं किये जाने पर विचार।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् अवगत कराया गया कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली के अध्याय–3 में कार्य परिषद् गठन किये जाने में 02 संकायाध्यक्ष, 02 अन्य पिछड़े वर्ग के आचार्य, 02 आचार्य, 02 सह आचार्य, 02 सहायक आचार्य को चक्रानुक्रम में चयन किये जाने की व्यवस्था है। उक्त के अनुरूप 02 आचार्य एवं 02 सहायक आचार्य का चयन चक्रानुक्रम में कर लिया गया है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सह आचार्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में मात्र चार ही शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 02 शिक्षक कार्य परिषद् सदस्य के रूप में कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। अतैव चक्रानुक्रम में डॉ0 प्रवीण कुमार राय तथा डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य ही शेष हैं, जिन्हें कार्य परिषद् सदस्य के रूप में नामित किया जाना विचाराधीन था, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 तथा विश्वविद्यालय परिनियमावली 8.10(1) सपठित 8.11 (1)(b) में दी गई व्यवस्था अन्तर्गत गठित अनुशासनिक समिति द्वारा डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य तथा डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य की नियुक्ति के विरूद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है। अतएव उक्त दोनों शिक्षकों को कार्य परिषद् का सदस्य नामित किये जाने में असहज स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। विश्वविद्यालय अधिवक्ता, श्री शुभम त्रिपाठी द्वारा दिये गये परामर्श का मुख्य अंश निम्नवत् है:–

"... Accordingly, from the perusal of the aforementioned facts and relevant legal provisions the undersigned is of opinion that there is no specific provisions in The Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and First Statute, 2015 pertaining to disqualification of a teacher from being nominated as a member of Executive Council during pendency of departmental proceeding against him. However, as the departmental proceedings pertains to the appointment of the aforementioned incumbents and the executive council is the appointing authority of the said incumbents as well. Moreover, as the departmental proceedings was initiated on the recommendations made in the enquiry report dated 28.09.2021, submitted by three member committee which was initial constituted by the Hon'ble Chancellor directing the department of Higher Education to do an enquiry under section 8 of State Universities Act, 1973 and accordingly the aid three member committee was formally constituted by state government vide office order dated 02.02.2021, thus it would be appropriate to intimate and take guidance from the office of Hon'ble Chancellor before proceeding further with the nominations of the aforesaid individuals as members of Executive Council."

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में भी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दिशा–निर्देश उल्लिखित नही है।

साथ ही अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा–66 में निम्न व्यवस्था है:–

66. कार्यवाही को रिक्तियों आदि द्वारा अविधिमान्य नहीं बनाया जायेगा –विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय या समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्न कारण से अवैध नहीं होगी–

(क) उसके गठन में कोई भी रिक्ति या दोष, अथवा

Scanned with OKEN Scanner

(ख) कार्यवाही में भाग लेने पर कोई व्यक्ति जो सेवा करने का हकदार नहीं था: अथवा

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति के चुनाव, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोषः अथवा

(घ) वाद में गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए उसकी प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण स्थिति विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–2275/भा.विवि/कु.का/2023 दिनांक 01 अगस्त, 2023 द्वारा राज्यपाल सचिवालय अवगत कराते हुए महामहिम राज्यपाल महोदया का मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्राप्त किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया का मार्गदर्शन/ दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उक्त पर कार्य परिषद् द्वारा सर्वसम्मिति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्य बिन्दु संख्या–29 अन्य 2 :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, आचार्य–वाणिज्य द्वारा कार्य परिषद् के गठन के विरूद्ध लगाये गये आरोप पर विचार।

निर्णय :

प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा की गयी शिकायत पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकार की तथ्यहीन शिकायत की गयी थीं, जिन्हें अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा द्वारा की गयी शिकायत पर रोष व्यक्त करते हुए शिकायत को निराधार मानते हुए निरस्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner